बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या—4 (न) प्र0 सभा—5/2011 95) / बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा—4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या—4207 दिनांक—30.11.2012 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वैशाली जिलान्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची 'क' में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत गठित करती है तथा इसमें पड़ने वाले संक्रमणशील क्षेत्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के सुसंगत प्रावधानों को लागू करती है:--

1. (क) पंचायतों, ग्रामों के नाम एवं थाना नं0

(क)	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	थाना सं0		
•	महुआ मुकुन्दपुर	1. महुआ मुकुन्दपुर	294		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2. सादापुर महुआ	295		
	महुआ सिंहराय	1. महुआ सिंहराय	148		
		2. गोपाल चक	149		
(ख)	चौहद्दी	3. त्रिलोकचक	150		
	उत्तर	महुआ राम राय			
	दक्षिण	हिदायतपुर, चकमज	हिद, चतुरंगपुर काढ़न		
	पूरब	माधोपुर निझमा, छत	माधोपुर निझमा, छतवारा कपुर, गदोपुर		
	पश्चिम	विशुनपुर गधौल, सहदुल्लाचक, चतुरंगपुर काढ़न, हिदायतपुर			

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, महुआ कहा जायेगा।

यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

उप सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक—4 (न) प्र0 सभा—5/2011 95/ /न0वि०एवं.आ0वि० /पटना, दिनांक— 1014113 प्रतिलिपि:—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अर्क में प्रकाशनार्थ / ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ ई-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक—4 (न) प्र0 सभा—5/2011 951 /न0वि०एवं.आ०वि० /पटना, दिनांक— 101413 प्रतिलिपिः—सभी ज़िला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, वैशाली / माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक—4 (न) प्र0 सभा—5 / 2011 95) / न०वि०एवं.आ०वि० / पटना, दिनांक— 10/411 प्रतिलिपिः— सिचव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नगर विकास एवं आवास विभाग ज्ञापांक—4 (न) प्र0 सभा—5/2011 १८०० / न०वि०एवं.आ०वि० / पटना, दिनांक—10/4/1/3 प्रतिलिपिः— नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं सचिवालय सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या— 4 (न) प्र0 सभा—5/2011 अधिसूचना संख्या— १५) दिनांक—10/4/17/का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जी भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डा० राजीव कुमार) उप सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar Urban Development and Housing Department

No-4 (N) Pra. Sabha-5/2011 952 /After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared through previously published draft Notification No-4207 dated-30.11.2012 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) the State Government in exercise of the power conferred under section-6 of the Act constitute a Nagar Panchayat and in it enforce the relevant provisions of the Bihar Municipal Act, 2007 in the transitional areas falling within the boundary as described in following schedule-'A' in district-Vaishali:-

Schedule-A

1 (a) Panchayat, Name of villages and Thana Nos

	Garm Panchyat	Name of Vill	age	Thana No.
	Mahua Mukundpur	1. Mahua Mu	kundpur	294
	Mahua Singhrai	2. Sadapur Mahua1. Mahua Singhrai2. Gopal Chak		295 148 149
(b)	Boundary:-	3. Trilok Chal		150
		North-South-East-West-	Mahua Ramrai, Hidayatpur, Chakmajahid, Chaturangpur Kadhan Madhopur Nijhma, Chatwara Kapur, Gadopur Vishunpur Gadhaul, Sahdullachak, Chaturangpur Kadhan, Hidayatpur	

This area will be called Nagar Panchayat, Mahua

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

Deputy Secretary

Urban Development and Housing Department.

E:\Ranjan, 2013\Final Notification of Mahua Date-28.02.2013.doc - 3 -

No-4 (N) Pra. Sabha-5/2011 952—UD&HD Dated:- 10/4/13
Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication Memo No-4 (N) Pra. Sabha-5/2011 952—UD&HD in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette/ E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in E-Gazette. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department. Urban Development and Housing Department. Memo No-4 (N) Pra. Sabha-5/2011 9 No-4 (N) Pra. Sabha-5/2011 952 UD&HD Dated:- 1014178
Copy to All District Magistrates/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Vaishali/ Private Secretary to the H' nble Chief Minister/ Private Secretary to the H' nble Minister Urban Development and Housing Department/Secretary, Urban Development and Housing Department for information and necessary action. Deputy Secretary Urban Development and Housing Department. Memo No-4 (N) Pra. Sabha-5/2011 952—UD&HD Dated:- /8/4/17 Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Sone Bhawan, Patna-for information and necessary action.

Deputy Secretary

Urban Development and Housing Department.

Memo No-4 (N) Pra. Sabha-5/2011 952 UD&HD Dated:- 10/4) 3 Copy to All the officers and Secretariat Assistants of Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

Deputy Secretary

Urban Development and Housing Department.